



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1605]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2017/ज्येष्ठ 17, 1939

No. 1605]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2017/JYAISTHA 17, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2017

**का.आ. 1812(अ).**—प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3341, तारीख 7 दिसम्बर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई टीका टिप्पणियां/आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, नालसरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात के अहमदाबाद और सुरेन्द्रनगर जिले में स्थित है और 120.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, यह अभयारण्य देश के सबसे बड़े प्राकृतिक नमभूमियों में से एक है, जिसका विस्तार वर्षा पर निर्भर करता है और जिसकी अधिकतम गहराई बाढ़ के समय लगभग 1.5—2.0 मीटर होती है;

और, इस अभयारण्य में पानी मुख्यतः अर्थात् दो नदियों ब्राह्मिणि और भोगावों से प्राप्त होता है और साथ ही इसमें पानी 3000 वर्ग किलोमीटर में फैले आवाह क्षेत्र से भी आता है जिसमें गांधीनगर जिले का कालोल तालुका, मेहसाणा जिले का कादी तालुका और अहमदाबाद जिले का सआनद, वीरमगम और बवल्ला तालुका और सुरेन्द्रनगर जिले का लाखतर एवं लिमडी तालुका शामिल है;

और, नालसरोवर अभयारण्य में विविध प्रकार के पर्यावास हैं अर्थात् खुले जल क्षेत्र, दलदल, नरकट-तल और द्वीप समूह.—इस अभयारण्य में 300 से भी अधिक द्वीप हैं जो पानी के स्तर के नीचे जाने पर दिखाई पड़ते हैं;

और, नालसरोवर अभयारण्य में विविध प्रकार के पर्यावास होने के कारण यहां पक्षियों की 226 प्रजातियां, मछली की 20 प्रजातियां और स्तनधारियों की 13 प्रजातियां जैसे पक्षियों तथा स्तनधारियों सारस क्रेन, इंडियन स्किमर, एशियाई जंगली गधे और भेडिये की वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों सहित विद्यमान है;

और, इस अभयारण्य में शैवाल की लगभग 50 प्रजातियां तथा फूलदार पौधों के 72 से भी अधिक प्रकारों सहित प्रचुर संख्या में जलीय वनस्पति विद्यमान है;

और, नालसरोवर पक्षी अभयारण्य के आसपास पाए जाने वाले वनस्पति में पिली तिलवन, पिली तनवानी (*क्लेम विस्कोस*), अछिल अजिओपांस भूरिप्रस (*तामरीक्स डाइआइका*), जलगंबावो गंधारो ओखड़ (*बर्गिया ओडोरटा*), बोरचुच कागागीसोदा (*कोर्टरस ओलिटोरियस*), चुनच छठारी (*कोर्टरस एस्तुआन*), बेथु गोखरू मिथुन गोखरू अकैती (*ट्रायबिलस टेरेस्ट्रिस*), लागो सेचोव (*एलीसिआर्पस रगोसस*), जवाशियो (*अलहागी सरंडलहगी*), पैरागोडोडी (*एशिनोमेने इंडिका*), अब्दामेथी रानीमेति (*क्रोटोलरिया मेडिकागिनि*), फाट्याकी भोनीगल (*इंडिगोफेरा एननेफ़ाल्ला*), सेवरी, जयंती (*सेसबानिया एयजीप्पटिका*), गंधो बोवाल (*प्रोसोपिस लिलिफ्लोरा*), चीजोडो (*प्रोसोपिस सिनेरिया*), अंगगुती, जलागियो (*अम्मोनिया वासीफेरा*), पनलावंग (*लुडविगिया पेरेननीस*), सतोडो (*ट्रान्थाहेमा पोर्टुलाकास्ट्रम*), भांग्रो (*एल्लिफ्ट अल्बा*), ममेजेवो (*एनिकोस्टेमा लिटोरेल*) हैं;

और, अभयारण्य में मुख्य प्राणी जैसे काला हिरण (*एनिलेटोप सर्विकापरा*), ब्लूबुल (*बोसेलफस ट्रागोकैमेलस*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), भारतीय जंगली गधे (*एक्सस हीमियोनस खूर*), जंगली बिल्ली (*फेलिस चॉउस*), पांच धारीदार गिलहरी (*फ़ानमबुलस पेंनेनी*) सामान्य नेवला (*हर्पेस्टिस एडवर्सी*), रुफस टेल खरगोश (*लेपसिनिगरिकोलिस रूफिकायुडाटस*), डेजर्ट गेरबिल (*मेरियनस हकिकाई*), भारतीय बनैला सूअर (*स्स स्क्रोफा*), ग्रे कस्तूरी (*सनकस मरीनस*), भारतीय गेरबिल (*टेटेरा इंडिका*), भारतीय लोमड़ी (*वुल्फस बेंगलेंसिस*) आदि है;

और, इस अभयारण्य में ग्रीब्स, पेलिकन, बतख एवं कलहंस, रेल, कूट क्रेक, जकाना, जलकौवा, बगुला, एग्रेट बिटर्न, स्टॉक, बुज्जा, स्पूनबिल, फ्लेमिंगों, क्रेन, वाडर, शोरबर्ड, गल, टर्न, किंगफिशर, वैगटेल, पिपिट, गरूड, हैरियर जैसी प्रवासी और स्थानीय पक्षी प्रजातियों सहित अनेक जल पक्षियों का संभरण होता है;

और, अपने बड़े आकार और उल्लेखनीय प्रजाति प्रचुरता के साथ साथ जलीय पक्षियों की बहुतायत के कारण नालसरोवर पक्षी अभयारण्य को रामसर कन्वेंशन के अतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की नमभूमि के रूप में मान्यता देकर इसे रामसर स्थल के रूप में अभिहित किया गया है;

और, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में नालसरोवर पक्षी अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, को संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों के प्रचालन या प्रसंस्करण या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात में नालसरोवर पक्षी अभयारण्य की सीमा 2.35 किलोमीटर से 13 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को नालसरोवर पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है, अर्थात् :—

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन अहमदाबाद और सुरेन्द्रनगर जिलों में स्थित है।

(2) अभयारण्य की सीमा से पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार 2.35 किलोमीटर से 4.84 किलोमीटर तक है।

(3) नालसरोवर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ नालसरोवर पक्षी अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध-II** के रूप में उपाबद्ध है और अभयारण्य और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू-निर्देशांक **उपाबंध-III** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में उपाबद्ध है।

**2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—**(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करके आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पर्यावरणीय और पारिस्थितिक बातों को समाकलित करने के लिए राज्य के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:—

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि ;
- (iv) राजस्व;
- (v) नगर विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज; और
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिसके पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार में अपने कृत्यों का पालन करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :—

(1) भू-उपयोग.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और मनोरंजनात्मक प्रयोजनों के लिए अभिनिश्चित खुले स्थानों को मुख्य वाणिज्यिक या मुख्य आवासीय परिसर या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा या उनके लिए क्षेत्रों में संपरिवर्तित नहीं किया जाएगा।

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न, प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और सुसंगत राज्य विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से अनुज्ञात किया जा सकेगा और यथा लागू केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अन्य नियम जैसे विनियम तथा स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस अधिसूचना के उपबंधों के द्वारा निम्नलिखित किया जा सकेगा जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित गृह वास; और
- (iv) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 7 के अधीन दिया गया है:

परंतु यह और भी कि सुसंगत राज्य विधियों और राज्य सरकार अन्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.—आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजनाएं सम्मिलित हों और राज्य सरकार द्वारा आवाह प्रबंध योजना ऐसी रीति में तैयार की जाएगी जिससे क्षेत्रों के भीतर विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध किया जा सके और या निर्बंधित किया जा सके।

(3) पर्यटन/पारिस्थितिक-पर्यटन.—(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी।

(ख) पारिस्थितिक-पर्यटन महायोजना पर्यावरण और वन के राज्य विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगा।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात्:—

- (i) अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों अनुज्ञात नहीं होंगे। तथापि वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक एक किलोमीटर से परे नए होटलों तथा रिसोर्टों की स्थापना के लिए पूर्व अभ्यांकित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में ही अनुज्ञात किया जाएगा;
- (ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांतों के तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन पर बल देते हुए होगा;
- (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण की योजनाएं इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर तैयार की जाएगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण निवारण और नियंत्रण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपाल्य किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण सामान्य मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**—ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति में होगा;
- (iii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.**—जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध निम्नलिखित के अनुसार होगा-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्ट निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई साधारण उपचार सुविधा या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन.**—परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और ऐसे समय तक जब तक आंचलिक महायोजना के तैयार होती है और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(12) **यानीय प्रदूषण.**—लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(13) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(15) **ई-अपशिष्ट.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.**—(i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन को या उसके पश्चात पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किन्हीं नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में केवल गैर.—केवल अप्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना को वर्गीकरण के अनुसार अनुज्ञा दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.**—पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा :

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेगी।

**4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) के

उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

**सारणी**

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
<b>क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
(1)	वाणिज्यिक खनन।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की देशी आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरूमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के खनन आदेश के अनुसरण का प्रचालन होगा।
(2)	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	कोई नया उद्योग या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में केवल गैर.—प्रदूषित उद्योगों को स्थापना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषण कूटी उद्योग का बढ़ावा दिया जाएगा।
(3)	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(4)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(5)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(6)	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए साधारण भस्मीकरण की सुविधा की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल तथा ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट उपचार एवं प्रसंस्करण सुविधा की अनुज्ञा नहीं है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान एवं अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए साधारण या व्यक्तिगत भस्मीकरण की सुविधा का संस्थापन प्रतिषिद्ध है।

(7)	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(8)	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(9)	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(10)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा।

#### ख. विनियमित क्रियाकलाप

(11)	होटलों और रिसोर्टों का वाणिज्यिक स्थापन।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक ही जो भी निकट हो कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे अन्यथा नहीं। परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर परे या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार यथालागू पर्यटन महायोजना के अनुरूप होगा।
(12)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:  परन्तु स्थानीय लोगों को पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी जैसे:—  (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;  (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;  (iii) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में जिस में गृह वास भी है सहायक हो; और  (iv) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलापों की सूची :

(13)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
(14)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कोई कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
(15)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(16)	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों मार्गी मार्गदर्शको के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, और उपलब्ध किए जाएंगे ।
(17)	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
(18)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(19)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाहों अपशिष्ट जल एवं का निस्सारण ।	जल निकायों में प्रवेश करने के लिए अपशिष्ट जल/ बहिर्वाह उपचारित उत्सर्जन रोकेगा। पुनःचक्रण और अपशिष्ट जल उपचारित पुनः उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे अन्यथा अपशिष्ट जल/ बहिर्वाह उत्सर्जन लागू विधि के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(20)	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(21)	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
(22)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंगें ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(23)	वायु, ध्वनि और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(24)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	सुरक्षा बल शिविर।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी : परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में 100% आयातित काष्ठ स्टाक उपभोग करने वाले नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना की जा सकेगी ।

(28)	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों हेतु पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे तम्बु, लकड़ी के आवास।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(29)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
<b>संवर्धित क्रियाकलाप</b>		
(30)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(31)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(32)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(33)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(34)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना है।
(35)	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(36)	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(37)	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(38)	निम्नीकृत भूमि या वन या का जीर्णोद्धार।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(39)	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

**5. निगरानी समिति.**—केंद्रीय सरकार के द्वारा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

- (i) कलक्टर, सुरेन्द्रनगर -अध्यक्ष ;
- (ii) कलक्टर का प्रतिनिधि, अहमदाबाद -सदस्य;
- (iii) क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य;
- (iv) गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जो पर्यावरण और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है जिसे गुजरात सरकार द्वारा (तीन वर्ष की अवधि के लिए) नामनिर्दिष्ट किया जाएगा -सदस्य;
- (v) गुजरात सरकार के संस्थान और विश्वविद्यालय के पारिस्थितिक/वन्यजीव/ पक्षियों के एक विशेषज्ञ गुजरात सरकार द्वारा (प्रत्येक मामले में तीन वर्ष के लिए) नामनिर्दिष्ट किया जाएगा -सदस्य;
- (vi) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य -सदस्य;
- (vii) जल विज्ञान का एक विशेषज्ञ -सदस्य;

- (viii) भूजल का एक विशेषज्ञ -सदस्य;
- (ix) उप वन संरक्षक, (अभयारण्य का भारसाधक), नालसरोवर पक्षी अभयारण्य -सदस्य-सचिव ।

## 6. निर्देश निबंधन.—

- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपाबंध का अनुपालन निगरानी समिति करेगी।
- (2) निगरानी समिति की अवधि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष का होगा ।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।
- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।
- (6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपने क्रियाकलापों की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उपाबंध V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।
7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।
8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/89/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'  
उपाबंध I

## क. नालसरोवर पक्षी अभयारण्य की सीमा का विवरण

बिन्दु से .— तक		विवरण
1	2	राजस्व क्षेत्र का काएला ग्राम
2	3	राजस्व क्षेत्र का काएला ग्राम
3	4	राजस्व क्षेत्र का काएला ग्राम
4	5	राजस्व क्षेत्र का वेकरिया ग्राम
5	6	राजस्व क्षेत्र का वेकरिया ग्राम
6	7	राजस्व क्षेत्र का मेनी ग्राम
7	8	राजस्व क्षेत्र का मेनी ग्राम
8	9	राजस्व क्षेत्र का मेनी ग्राम
9	10	राजस्व क्षेत्र का दुरगी (धरजी) ग्राम
10	11	राजस्व क्षेत्र का दुरगी (धरजी), देवदथाल और शियाल ग्राम
11	12	राजस्व क्षेत्र का शियाल ग्राम
12	13	राजस्व क्षेत्र का शियाल ग्राम
13	14	राजस्व क्षेत्र का शियाल ग्राम
14	15	राजस्व क्षेत्र का दिग्विजयगढ़ ग्राम
15	16	राजस्व क्षेत्र का दिग्विजयगढ़ और मीठापुर ग्राम
16	17	राजस्व क्षेत्र का धीरजगढ़ ग्राम
17	18	राजस्व क्षेत्र का धीरजगढ़ ग्राम
18	19	राजस्व क्षेत्र का धीरजगढ़ ग्राम
19	20	राजस्व क्षेत्र का मूलबावला ग्राम
20	21	राजस्व क्षेत्र का मूलबावला और राणागढ़ ग्राम
21	22	राजस्व क्षेत्र का राणागढ़ ग्राम
22	23	राजस्व क्षेत्र का राणागढ़ ग्राम
23	24	राजस्व क्षेत्र का राणागढ़ ग्राम
24	25	राजस्व क्षेत्र का ननीकाथेची ग्राम
25	26	राजस्व क्षेत्र का ननीकाथेची ग्राम


26	27	राजस्व क्षेत्र का शाहपुर ग्राम
27	28	राजस्व क्षेत्र का शाहपुर ग्राम
28	29	राजस्व क्षेत्र का शाहपुर ग्राम
29	1	राजस्व क्षेत्र का शाहपुर ग्राम

**ख. नालसरोवर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण**

बिन्दु से.—तक		विवरण
पू1	पू2	राजस्व क्षेत्र का गंगद ग्राम
पू2	पू3	राजस्व क्षेत्र का कमीजाला ग्राम
पू3	पू4	राजस्व क्षेत्र का कमीजाला और कुमरखान ग्राम
पू4	पू5	राजस्व क्षेत्र का कुमरखान ग्राम
पू5	पू6	राजस्व क्षेत्र का कुमरखान और जेजरा ग्राम
पू6	पू7	राजस्व क्षेत्र का जेजरा ग्राम
पू7	पू8	राजस्व क्षेत्र का रुपवती ग्राम
पू8	पू9	राजस्व क्षेत्र का ननीकिशोल, करनगढ और अनीयाली ग्राम
पू9	पू10	राजस्व क्षेत्र का अनीयाली ग्राम
पू10	पू11	राजस्व क्षेत्र का अनीयाली ग्राम
पू11	पू12	राजस्व क्षेत्र का वनालिया, जैम्प और देवदथाल ग्राम
पू12	पू13	राजस्व क्षेत्र का देवदथाल, दुमली और शियाल ग्राम
पू13	पू14	राजस्व क्षेत्र का शियाल ग्राम
पू14	पू15	राजस्व क्षेत्र का शियाल और मीठापुर ग्राम
पू15	पू16	राजस्व क्षेत्र का मीठापुर ग्राम
पू16	पू17	राजस्व क्षेत्र का मीठापुर ग्राम
पू17	पू18	राजस्व क्षेत्र का परनाला और परली ग्राम
पू18	पू19	राजस्व क्षेत्र का धनवाना और फुलवाड़ी ग्राम
पू19	पू20	राजस्व क्षेत्र का भगवानपुर ग्राम
पू20	पू21	राजस्व क्षेत्र का भगवानपुर और जलीयाला ग्राम
पू21	पू22	राजस्व क्षेत्र का जलीयाला ग्राम
पू22	पू23	राजस्व क्षेत्र का तलसाना ग्राम
पू23	पू24	राजस्व क्षेत्र का गदथाल ग्राम
पू24	पू25	राजस्व क्षेत्र का गदथाल और सकर ग्राम
पू25	पू26	राजस्व क्षेत्र का मलिका और छारद ग्राम
पू26	पू27	राजस्व क्षेत्र का छारद ग्राम
पू27	पू1	राजस्व क्षेत्र का छारद और गंगद ग्राम

**उपाबंध-II**

**नालसरोवर पक्षी अभयारण्य का पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ मानचित्र**



## उपाबंध III-क

## नालसरोवर पक्षी अभयारण्य की सीमा के साथ प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1.	22 52' 3.326" उ	72 2' 37.438" पू
2.	22 50' 53.289" उ	72 3' 11.250" पू
3.	22 50' 10.367" उ	72 3' 10.410" पू
4.	22 49' 58.065" उ	72 4' 0.899" पू
5.	22 48' 59.039" उ	72 2' 48.617" पू
6.	22 47' 56.365" उ	72 3' 30.043" पू
7.	22 46' 9.121" उ	72 2' 51.733" पू
8.	22 45' 23.962" उ	72 3' 43.653" पू
9.	22 46' 58.719" उ	72 5' 14.850" पू
10.	22 45' 21.426" उ	72 5' 32.862" पू
11.	22 44' 8.793" उ	72 5' 27.626" पू
12.	22 44' 26.936" उ	72 4' 34.016" पू
13.	22 43' 52.643" उ	72 4' 19.792" पू
14.	22 43' 24.333" उ	72 6' 5.752" पू
15.	22 42' 25.737" उ	72 4' 16.739" पू
16.	22 41' 3.423" उ	72 2' 25.992" पू
17.	22 42' 37.242" उ	72 2' 4.712" पू
18.	22 43' 37.258" उ	72 1' 9.482" पू
19.	22 43' 1.260" उ	71 59' 32.722" पू
20.	22 44' 24.115" उ	71 59' 58.682" पू
21.	22 45' 18.866" उ	71 59' 43.912" पू
22.	22 46' 45.287" उ	71 59' 53.207" पू
23.	22 47' 33.491" उ	71 59' 12.987" पू
24.	22 49' 10.238" उ	71 58' 48.949" पू
25.	22 50' 43.942" उ	71 59' 12.721" पू
26.	22 50' 49.220" उ	71 59' 41.111" पू
27.	22 48' 56.161" उ	72 0' 33.895" पू
28.	22 49' 41.214" उ	72 1' 35.717" पू
29.	22 51' 12.182" उ	72 2' 0.012" पू

## उपाबंध III-ख

नालसरोवर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1.	22 56' 27.211" उ	71 58' 52.176" पू
2.	22 56' 11.338" उ	71 59' 43.294" पू
3.	22 55' 30.209" उ	72 0' 19.295" पू
4.	22 54' 7.990" उ	71 59' 56.813" पू
5.	22 53' 43.705" उ	72 2' 1.241" पू
6.	22 54' 31.171" उ	72 2' 35.913" पू
7.	22 52' 28.687" उ	72 4' 2.393" पू
8.	22 52' 8.758" उ	72 5' 36.127" पू
9.	22 49' 12.878" उ	72 5' 29.248" पू
10.	22 48' 26.501" उ	72 6' 25.739" पू
11.	22 49' 19.772" उ	72 7' 12.362" पू
12.	22 46' 1.958" उ	72 6' 52.907" पू
13.	22 41' 50.718" उ	72 8' 53.556" पू
14.	22 38' 21.969" उ	72 8' 54.459" पू
15.	22 38' 14.337" उ	72 5' 38.813" पू
16.	22 40' 25.070" उ	72 4' 6.355" पू
17.	22 40' 20.706" उ	72 1' 57.838" पू
18.	22 43' 5.111" उ	71 57' 15.506" पू
19.	22 46' 29.086" उ	71 56' 40.047" पू
20.	22 46' 14.723" उ	71 58' 9.090" पू
21.	22 48' 52.245" उ	71 57' 57.297" पू
22.	22 48' 41.413" उ	71 56' 21.169" पू
23.	22 49' 22.873" उ	71 55' 58.604" पू
24.	2250' 26.030" उ	71 57' 50.702" पू
25.	22 53' 2.576" उ	71 57' 30.232" पू
26.	22 55' 27.376" उ	71 57' 15.150" पू
27.	22 56' 13.166" उ	71 57' 52.246" पू

**उपाबंध-III****भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची**

क्र.सं.	गांव का नाम	जिला	अक्षांश	देशांतर
1.	शियाल	अहमदाबाद	22° 41' 10.228" उ	72° 9' 29.439" पू
2.	धरजी (रगीदु)	अहमदाबाद	22° 46' 51.831" उ	72° 6' 0.511" पू
3.	मेनी	अहमदाबाद	22° 48' 15.225" उ	72° 5' 4.261" पू
4.	वेकरिया	अहमदाबाद	22° 49' 97.56" उ	72° 3' 51.990" पू
5.	काएला	अहमदाबाद	22° 50' 37.344" उ	72° 3' 42.899" पू
6.	मोती किशोल	अहमदाबाद	22° 50' 58.752" उ	72° 2' 21.257" पू
7.	शाहपुर	अहमदाबाद	22° 52' 4.463" उ	72° 1' 10.888" पू
8.	दिग्विजयगढ़	सुरेन्द्रनगर	22° 41' 25.643" उ	72° 4' 47.729" पू
9.	धीरजगढ़	सुरेन्द्रनगर	22° 42' 8.181" उ	72° 0' 33.275" पू
10.	पराली	सुरेन्द्रनगर	22° 42' 13.782" उ	71° 58' 15.953" पू
11.	मूल बावला	सुरेन्द्रनगर	22° 44' 12.554" उ	71° 56' 19.566" पू
12.	राणागढ़	सुरेन्द्रनगर	22° 46' 27.113" उ	71° 59' 26.656" पू
13.	नानी काथेची	सुरेन्द्रनगर	22° 50' 52.526" उ	71° 59' 22.441" पू
14.	वेदेखन	सुरेन्द्रनगर	22° 49' 32.750" उ	71° 57' 26.324" पू
15.	मीठापुर	अहमदाबाद	22° 36' 53.509" उ	72° 7' 28.733" पू
16.	कालीवेजी	अहमदाबाद	22° 39' 24.633" उ	72° 7' 39.324" पू
17.	देवलथल	अहमदाबाद	22° 46' 29.869" उ	72° 7' 26.336" पू
18.	मोती काथेची	सुरेन्द्रनगर	22° 53' 34.856" उ	71° 59' 27.589" पू
19.	वडाला	सुरेन्द्रनगर	22° 54' 22.357" उ	71° 57' 32.868" पू

**उपाबंध-IV****पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति.—की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।

7. पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2017

**S.O. 1812(E).**—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3341, dated 7<sup>th</sup> December, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

**AND whereas,** no comments or objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

**WHEREAS,** Nalsarovar Bird Sanctuary is located in Ahmedabad and Surendranagar districts of Gujarat and is spread over an area of 120.82 square kilometer;

**AND WHEREAS,** the sanctuary is one of the largest natural wetlands in the country the extent of which varies depending upon the rainfall and which has maximum depth of about 1.5.—2.0 meters when flooded;

**AND WHEREAS,** the sanctuary receives water mainly from two rivers viz. Brahmini and Bhogavo and also receives rain water from a catchment area spread over 3000 square kilometers comprising of Kalol Taluka of Gandhinagar district, Kadi Taluka of Mehsana district and Sanand, Viramgam and Bavla Taluka of Ahmedabad district and Lakhtar and Limdi Taluka of Surendranagar district;

**AND WHEREAS,** the Nalsarovar sanctuary has varied habitat types viz. open water areas, marshes, reed-beds and islands.—there are more than 300 islands in the sanctuary which get exposed when water level recedes;

**AND WHEREAS,** due to wide variety of habitats the Nalsarovar Sanctuary harbours 226 bird species, 20 species of fish and 13 species of mammals including globally threatened species of birds and mammals such as Sarus crane, Indian Skimmer, Asiatic Wild Ass and Wolf;

**AND WHEREAS,** the sanctuary has rich aquatic flora with nearly 50 species of algae and over 72 types of flowering plants;

**AND WHEREAS,** The vegetation found around Nalsaroval Bird Sanctuary includes Pili Tilvan, Pili Tanvani (*Cleome viscosa*), Achhil Aijopras Bhuripras (*Tamarix dioica*), Jaljambvo Gandharo Okhrad (*Bergia Odorata*), Borchhuchh Kagagisoda (*Corchorus Olitorius*), Chunch Chhadhari (*Corchorus aestuans*), Bethu Gokhru Mithu Gokhru Akanti (*Tribulus terrestris*), Lago Samorvo (*Alysicarpus rugosus*), Jawasiyo (*Alhagi Pseudulhagi*), Paragdodi (*Aeschynomene indica*), Abdaumethi Ranmethi (*Crotalaria medicaginea*), Fatakiya Bhonygal (*Indigofera enneaphylla*), Sevri, Jayanti (*Sesbania aegyptiaca*), Gando Boval (*Prosopis liliflora*), Khijdo (*Prosopis cineraria*), Aganbuti, Jalagio (*Ammannia baccifera*), Panlavang (*Ludwigia perennis*), Satodo (*Trianthema portulacastrum*), Bhangro (*Eclipta alba*), Mamejevo (*Enicostema Littorale*);

**AND WHEREAS,** the sanctuary has main fauna such as Blackbuck (*Antelope cervicapra*), Bluebull (*Boselaphus tragocamelus*), Jackal (*Canis aureus*), Indian wild ass (*Equus hemionous khur*), Jungle cat (*Felis chaus*), Five striped palm squirrel (*Funambulus pennanae*), Common mongoose (*Herpestes edwardsi*), Rufous tailed hare (*Lepus nigricollis ruficaudatus*), Desert gerbille (*Meriones hurricanae*), Indian wild boar (*Sas scrofa*), Grey musk shrew (*Suncus murinus*), Indian gerbille (*Tetera indica*), Indian fox (*Vulpes bengalensis*);

**AND WHEREAS,** the sanctuary supports many water birds including migratory and local bird species like Grebes, Pelicans, Ducks & Geese, Rails, Coots, Crakes, Jacanas, Cormorants, Herons, Egrets, Bittern, Storks, Ibises, Spoonbill, Flamingos, Cranes, Waders, shorebirds, Gulls, Terns, Kingfishers, Wagtails, Pipits, Eagles, Harriers;

**AND WHEREAS,** owing to its large size and remarkable species richness as well as abundance of aquatic birds, Nalsarovar Bird Sanctuary has been designated as a Ramsar site recognizing it as a Wetland of International Importance under the Ramsar Convention;

**AND WHEREAS,** it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which specified in paragraph 1 of this notification, around the Nalsarovar Bird Sanctuary as Eco sensitive zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**NOW THEREFORE,** in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub.—section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying up to 13 kilometers from the boundary of the Nalsarovar Bird Sanctuary in the State of Gujarat, as Nalsarovar Bird Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

**1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone..—**(1) The Eco-sensitive Zone is located in the districts of Ahmedabad and Surendranagar.

(2) The extent of Eco-sensitive Zone ranges from 2.35 kilometer to 4.84 kilometers from the boundary of the Sanctuary.

(3) The description of boundary of Eco-sensitive Zone of Nalsarovar Bird Sanctuary is annexed as **Annexure I.**

(4) The map of Nalsarovar Bird Sanctuary together with Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure II** and the Geo-coordinates of Sanctuary and ESZ are appended as **Annexure III.**

(4) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is annexed as **Annexure IV**.

**2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.**—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

- (i) Environment;
- (ii) Forest and Wildlife;
- (iii) Agriculture;
- (iv) Revenue,
- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal ;
- (x) Panchayati Raj ; and
- (xi) Public Works Department.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

**3. Measures to be taken by State Government.**—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.**—

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/ Government and State Government as applicable and vide provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

- (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) Small scale industries not causing pollution;
- (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) Promoted activities and given under para 7:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural Springs.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism/Eco-tourism.**—(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely.—
- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
- (iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel or resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural Heritage..—Natural Heritage.**—All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites..**—Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution..**—Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.
- (7) **Air pollution..**—Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.
- (8) **Discharge of effluents..**—Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes..**— Disposal and Management of solid wastes shall be as under.—
- (i) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time;

- (ii) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (iii) no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste..**—Bio medical waste management shall be as under:-

- (i) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.
- (ii) no common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) **Vehicular traffic..**—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Vehicular Pollution**-Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(13) **Plastic Waste Management.**—The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(14) **Construction and Demolition Waste Management.**—The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(15) **E-waste.**—The E.—Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(16) **Industrial Units.**—(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes..**—The protection of hill slopes shall be as under.-

- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
- (b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

**4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone..**—All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
<b>A. Prohibited activities</b>		
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities.  (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 04 August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment or processing facility of solid waste is permitted within Eco sensitive zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment or hospitals etc. is Prohibited.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
8.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
<b>B. Regulated activities</b>		
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities.	No new commercial construction of any kind shall be permitted within one

		<p>Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:-</p> <p>(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;</p> <p>(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;</p> <p>(iii) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and</p> <p>(iv) promoted activities listed in this Notification.</p>
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries termed as White Category as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Felling of Trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
16.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Erection of electrical & telecommunication towers related infrastructure.	Promote underground cabling.
18.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
19.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per applicable laws.
20.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
21.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
22.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Air, Noise and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
24.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
25.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws
26.	Security Forces Camp.	Regulated under applicable laws.
27.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone. Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive using 100 percent imported wood stock.
28.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly	Regulated under applicable laws.

	tourism activities.	
29.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
<b>C. Promoted Activities:</b>		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

### 5. Monitoring Committee.—

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

- |        |  |                    |
|--------|--|--------------------|
| (i)    | Collector, Surendranagar.  | -Chairman;         |
| (ii)   | Representative of Collector, Ahmadabad   | -Member;           |
| (iii)  | Regional Officer, State Pollution Control Board.   | -Member;           |
| (iv)   | One representative of Non-governmental Organisations working in the field of nature conservation to be nominated by the Government of Gujarat (for a term of three year in each case).—Member; |                    |
| (v)    | One expert in Ecology/wildlife/birds from reputed Institution or University of the State of Gujarat to be nominated by the Government of Gujarat (for a term of three year in each case).      | -Member;           |
| (vi)   | Member State Biodiversity Board  | -Member;           |
| (vi)   | One expert in Hydrology  | -Member;           |
| (viii) | One expert in Ground water   | -Member;           |
| (ix)   | Deputy Conservator of Forests, (Incharge of the Nalsarovar Bird Sanctuary  | -Member-Secretary. |

### 6. Terms of Reference:

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- (2) The tenure of the monitoring committee shall be for three years from date of publication of this Notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-

specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
  - (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
  - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
  - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro.—forma appended at Annexure-V.
  - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/89/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

#### Annexure-I

#### A. Boundary Description of Nalsarovar Bird Sanctuary

Point From — To		Description
1	2	Revenue area of Kayla Village
2	3	Revenue area of Kayla Village
3	4	Revenue area of Kayla Village
4	5	Revenue area of Vekariya Village
5	6	Revenue area of Vekariya Village
6	7	Revenue area of Meni Village
7	8	Revenue area of Meni Village
8	9	Revenue area of Meni Village
9	10	Revenue area of Durgi (Dharji) Village
10	11	Revenue area of Durgi (Dharji), Devadthal and Shiyal Village
11	12	Revenue area of Shiyal Village
12	13	Revenue area of Shiyal Village
13	14	Revenue area of Shiyal Village
14	15	Revenue area of Digvijaygadh Village
15	16	Revenue area of Digvijaygadh and Mithapur Village
16	17	Revenue area of Dhirajgadh Village
17	18	Revenue area of Dhirajgadh Village
18	19	Revenue area of Dhirajgadh Village


19	20	Revenue area of Mulbavla Village
20	21	Revenue area of Mulbavla and Ranagadh Village
21	22	Revenue area of Ranagadh Village
22	23	Revenue area of Ranagadh Village
23	24	Revenue area of Ranagadh Village
24	25	Revenue area of NaniKathechi Village
25	26	Revenue area of NaniKathechi Village
26	27	Revenue area of Shahpur Village
27	28	Revenue area of Shahpur Village
28	29	Revenue area of Shahpur Village
29	1	Revenue area of Shahpur Village

**B. BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE of  
Nalsarovar Bird Sanctuary**

Point From — To		Description
E1	E2	Revenue area of Gangad Village
E2	E3	Revenue area of Kamijala Village
E3	E4	Revenue area of Kamijala and Kumarkhan Village
E4	E5	Revenue area of Kumarkhan Village
E5	E6	Revenue area of Kumarkhan and Zezara Village
E6	E7	Revenue area of Zezara Village
E7	E8	Revenue area of Rupavati Village
E8	E9	Revenue area of NaniKishol, Karangadh and Aniyali Village
E9	E10	Revenue area of Aniyali Village
E10	E11	Revenue area of Aniyali Village
E11	E12	Revenue area of Vanaliya, Zamp and Devadthal Village
E12	E13	Revenue area of Devadthal, Dumali and Shiyal Village
E13	E14	Revenue area of Shiyal Village
E14	E15	Revenue area of Shiyal and Mithapur Village
E15	E16	Revenue area of Mithapur Village
E16	E17	Revenue area of Mithapur Village
E17	E18	Revenue area of Parnala and Parali Village
E18	E19	Revenue area of Dhanvana and Fulvadi Village
E19	E20	Revenue area of Bhagvanpur Village
E20	E21	Revenue area of Bhagvanpur and Jaliyala Village
E21	E22	Revenue area of Jaliyala Village
E22	E23	Revenue area of Talsana Village
E23	E24	Revenue area of Gadthal Village
E24	E25	Revenue area of Gadthal and Sakar Village
E25	E26	Revenue area of Malika and Chharad Village
E26	E27	Revenue area of Chharad Village
E27	E1	Revenue area of Chharad and Gangad Village

Annexure—II

Map of Nalsarovar Bird Sanctuary along with its Eco-sensitive Zone



## Annexure III-A

**Geo-coordinates of Prominent Locations along the boundary of Nalsarovar Bird Sanctuary**

<b>Sr. No.</b>	<b>Latitude (N)</b>	<b>Longitude (E)</b>
1.	22 52' 3.326" N	72 2' 37.438" E
2.	22 50' 53.289" N	72 3' 11.250" E
3.	22 50' 10.367" N	72 3' 10.410" E
4.	22 49' 58.065" N	72 4' 0.899" E
5.	22 48' 59.039" N	72 2' 48.617" E
6.	22 47' 56.365" N	72 3' 30.043" E
7.	22 46' 9.121" N	72 2' 51.733" E
8.	22 45' 23.962" N	72 3' 43.653" E
9.	22 46' 58.719" N	72 5' 14.850" E
10.	22 45' 21.426" N	72 5' 32.862" E
11.	22 44' 8.793" N	72 5' 27.626" E
12.	22 44' 26.936" N	72 4' 34.016" E
13.	22 43' 52.643" N	72 4' 19.792" E
14.	22 43' 24.333" N	72 6' 5.752" E
15.	22 42' 25.737" N	72 4' 16.739" E
16.	22 41' 3.423" N	72 2' 25.992" E
17.	22 42' 37.242" N	72 2' 4.712" E
18.	22 43' 37.258" N	72 1' 9.482" E
19.	22 43' 1.260" N	71 59' 32.722" E
20.	22 44' 24.115" N	71 59' 58.682" E
21.	22 45' 18.866" N	71 59' 43.912" E
22.	22 46' 45.287" N	71 59' 53.207" E

23.	22 47' 33.491" N	71 59' 12.987" E
24.	22 49' 10.238" N	71 58' 48.949" E
25.	22 50' 43.942" N	71 59' 12.721" E
26.	22 50' 49.220" N	71 59' 41.111" E
27.	22 48' 56.161" N	72 0' 33.895" E
28.	22 49' 41.214" N	72 1' 35.717" E
29.	22 51' 12.182" N	72 2' 0.012" E

**Annexure III-B****Geo-coordinates of Prominent Locations along the boundary of Eco-sensitive Zone of Nalsarovar Bird****Sanctuary**

<b>Sr. No.</b>	<b>Latitude (N)</b>	<b>Longitude (E)</b>
1.	22 56' 27.211" N	71 58' 52.176" E
2.	22 56' 11.338" N	71 59' 43.294" E
3.	22 55' 30.209" N	72 0' 19.295" E
4.	22 54' 7.990" N	71 59' 56.813" E
5.	22 53' 43.705" N	72 2' 1.241" E
6.	22 54' 31.171" N	72 2' 35.913" E
7.	22 52' 28.687" N	72 4' 2.393" E
8.	22 52' 8.758" N	72 5' 36.127" E
9.	22 49' 12.878" N	72 5' 29.248" E
10.	22 48' 26.501" N	72 6' 25.739" E
11.	22 49' 19.772" N	72 7' 12.362" E
12.	22 46' 1.958" N	72 6' 52.907" E
13.	22 41' 50.718" N	72 8' 53.556" E
14.	22 38' 21.969" N	72 8' 54.459" E
15.	22 38' 14.337" N	72 5' 38.813" E
16.	22 40' 25.070" N	72 4' 6.355" E
17.	22 40' 20.706" N	72 1' 57.838" E
18.	22 43' 5.111" N	71 57' 15.506" E
19.	22 46' 29.086" N	71 56' 40.047" E
20.	22 46' 14.723" N	71 58' 9.090" E
21.	22 48' 52.245" N	71 57' 57.297" E
22.	22 48' 41.413" N	71 56' 21.169" E

23.	22 49' 22.873" N	71 55' 58.604" E
24.	22 50' 26.030" N	71 57' 50.702" E
25.	22 53' 2.576" N	71 57' 30.232" E
26.	22 55' 27.376" N	71 57' 15.150" E
27.	22 56' 13.166" N	71 57' 52.246" E

**Annexure-IV****List of Villages falling within the Eco-sensitive Zone along with Geo-coordinates**

S. No	Village Name	District	Latitude (N)	Longitude (E)
1.	Shiyal	Ahmedabad	22° 41' 10.228" N	72° 9' 29.439" E
2.	Dharji (Durgi)	Ahmedabad	22° 46' 51.831" N	72° 6' 0.511" E
3.	Meni	Ahmedabad	22° 48' 15.225" N	72° 5' 4.261" E
4.	Vekriya	Ahmedabad	22° 49' 97.56" N	72° 3' 51.990" E
5.	Kayla	Ahmedabad	22° 50' 37.344" N	72° 3' 42.899" E
6.	MotiKishol	Ahmedabad	22° 50' 58.752" N	72° 2' 21.257" E
7.	Shahpur	Ahmedabad	22° 52' 4.463" N	72° 1' 10.888" E
8.	Digvijaygadh	Surendranagar	22° 41' 25.643" N	72° 4' 47.729" E
9.	Dhirajgadh	Surendranagar	22° 42' 8.181" N	72° 0' 33.275" E
10.	Parali	Surendranagar	22° 42' 13.782" N	71° 58' 15.953" E
11.	MulBavla	Surendranagar	22° 44' 12.554" N	71° 56' 19.566" E
12.	Ranagadh	Surendranagar	22° 46' 27.113" N	71° 59' 26.656" E
13.	NaniKathechi	Surendranagar	22° 50' 52.526" N	71° 59' 22.441" E
14.	Vadekhan	Surendranagar	22° 49' 32.750" N	71° 57' 26.324" E
15.	Mithapur	Ahmedabad	22° 36' 53.509" N	72° 7' 28.733" E
16.	Kaliveji	Ahmedabad	22° 39' 24.633" N	72° 7' 39.324" E
17.	Devalthal	Ahmedabad	22° 46' 29.869" N	72° 7' 26.336" E
18.	MotiKathechi	Surendranagar	22° 53' 34.856" N	71° 59' 27.589" E
19.	Vadala	Surendranagar	22° 54' 22.357" N	71° 57' 32.868" E

**Annexure-V****Performa of Action Taken Report.—Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.**

1. Number and date of Meetings :
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan :

4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006 : Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006 : Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance: